

न्यायालय:—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 121/2003 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2003/00008

उनवान

1. श्री भगवतसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी ओडाफला मानपुर बी हाल तहसील झल्लारा जिला—सलुम्बर (राज.)।

—वादी

बनाम

1. श्री हिम्मतसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी ओडाफला मानपुर बी हाल तहसील झल्लारा जिला—सलुम्बर (राज.)।
2. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलुम्बर जिला—सलुम्बर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक:—15/04/2026



उपस्थिति:

श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता—वादी

श्री प्रकाश कुमार चौबीसा अधिवक्ता—प्रतिवादी नं. 1

वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसमे उभयपक्षकारान को सुनने के उपरान्त निर्णय दिनांक 22-08-2022 द्वारा वादी का पांती बंटवाडा का एवं स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद स्वीकार कर प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तदपश्चात प्रकरण मे प्रार्थीगण प्रेमकुंवर, लाल कुंवर, गिरजा कुंवर पुत्री मदनसिंह जी राजपुत की ओर से इजराय कार्यवाही बाबत् पांती बंटवाडा राके के जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त न्यायालय आदेश दिनांक 06-01-2026 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् बंटवाडा तत्काल राके जाने की प्रार्थना खारिज की गई।

प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट तहसीलदार सलुम्बर के पत्रांक 357 दिनांक 12-09-2024 से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। PD पालना रिपोर्ट का अवलोकन अधिवक्ता उभयपक्ष को करवाया गया। पालना रिपोर्ट पर आपत्ति/अनापत्ति पेश करने हेतु उभयपक्ष को पर्याप्त अवसर दिये गये उसके उपरान्त भी किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। आदेशिका दिनांक 06-04-2026 को प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता माफिक पालना रिपोर्ट अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

जनमान-श्री भगवतसिंह बनाम श्री हिम्मतसिंह

वकील उभयपक्ष को सुनने व पालना रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त मौजा मानपुर वी पटवार हल्का बुडेल जामाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 68 किता 24 रकबा 4.25 हैक्टेयर के आराजियात मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. खातेदार का नाम - श्री हिम्मतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रापजुत सा. ओडफला खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा, भबराना

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	भूमि किस्म	लगान
1	29	0.08	ह.तृतीय	0.12
2	30	0.07	ह.तृतीय	0.10
3	31	0.09	ह.तृतीय	0.13
4	87 मी.	0.205	ह.तृतीय	0.295
5	88 मी.	0.2250	रास्ता 0.01	0.31
			ह.तृतीय 0.2150	
6	120 मी.	0.05	ह.तृतीय	0.075
7	119 मी.	0.13	ह.तृतीय	0.19
8	118 मी.	0.085	रास्ता 0.005	0.115
			ह.तृतीय 0.08	
9	34 मी.	0.1050	रास्ता 0.005	0.1450
			ह.तृतीय 0.10	
10	348/56/1	0.12	ह.तृतीय	0.1750
11	350/328/1	0.03	ह.तृतीय	0.045
12	349/267/1	0.03	ह.तृतीय	0.045
13	160	0.25	पाली 0.01	1.67
			खादी द्वि. 0.24	
14	161	0.07	खादी द्वि.	0.49
15	168	0.20	ह.तृतीय 0.0900	0.13
			ह.प्र. 0.1100	0.51
16	194 मी.	0.14	खादी द्वि.	0.84
17	226 मी.	0.10	ह.तृतीय	0.145
योग	किता 17	1.98	-	5.53रु

2. खातेदार का नाम-श्री भगवतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत सा. ओडाफला खातेदार राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	भूमि किस्म	लगान
1	3	0.03	ह.तृतीय	0.04
2	4	0.04	ह.तृतीय	0.06
3	2	0.19	ह.तृतीय	0.28
4	34/1	0.1050	रास्ता 0.005	0.145
			ह.तृतीय 0.10	
5	87/1	0.115	ह.तृतीय	0.165
6	88/1	0.1550	रास्ता 0.01	0.21
			ह.तृतीय 0.1450	0.21



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला - उदयपुर

जरिये- श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.एस.

वाद संख्या-121/2003

वाद अन्तर्गत धारा 53, 100 आर. टी. एक्ट.

जनमान-श्री भगवतसिंह बनाम श्री हिम्मतसिंह

7	89	0.07	ह.तृतीय	0.10
8	120/1	0.05	ह.तृतीय	0.075
9	119/1	0.13	ह.तृतीय	0.19
10	118/1	0.0850	रास्ता 0.05 ह.तृतीय 0.08	0.115
11	348/59 मी	0.12	ह.तृतीय	0.1750
12	350/328 मी	0.03	ह.तृतीय	0.0450
13	349/267 मी	0.03	ह.तृतीय	0.0450
14	170	0.54	प.द्वि. 0.04 ह.द्वि. 0.12 खादी द्वि. 0.38	0.02 0.35 2.64
15	194/1	0.19	खादी द्वि.	1.45
16	226/1	0.10	ह.तृतीय	0.145
योग	किता 16	1.98	-	6.25 रु

3. खातेदार का नाम- श्री भगवतसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/2 राजपुत सा. ओडाफला राहिन हिस्सा 1/2 दी बैंक ऑफ राजस्थान, हिम्मतसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/2 राजपुत सा. ओडाफला राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण एस बी बी जे भाखा भबराना

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा	भूमि किस्म	लगान
1	162	0.14	पली 0.02	0.83
			खा. II 0.12	
2	165	0.15	खा. II	1.04
योग	किता 02	0.29	-	1.87 रु

पालना रिपोर्ट दिनांक 12-09-2024 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा।

प्रतिवादीगण का जरिये स्थाई निशेधाज्ञा से पाबंदी किया जाता है कि वादी के हिस्से की आराजीयात की भूमि में बेजामजामत व दखलन्दाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1 पाबंद रहे।

माफिक निर्णय डिक्री पर्चा कायम किया जाकर निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार झल्लारा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय दिनांक 15/04/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला-सलुम्बर
जिला सलुम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सलूम्वर

क्रमांक-राजस्व / कोर्ट / 2026 /

दिनांक:-

वास्ते:-

तहसीलदार

झल्लारा

विषय:-प्रकरण संख्या 121/2003 रा.वा. में निर्णय दिनांक 15/04/26
की पालना बाबत।


उनवान

श्री भगवतसिंह बनाम श्री हिम्मतसिंह

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 121/2003 रा.वा. में निर्णय दिनांक 15/04/26 अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय/डिक्री की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो निर्णय अनुसार पालना हो।

सलंगन:- निर्णय/डिक्री की प्रति।




उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर सलूम्वर
सहायक कलेक्टर सलूम्वर
जिला सलूम्वर
जिला सलूम्वर

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश-20 के नियम-6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सलुम्बर
बजरिये श्री जगदीश चन्द्र वागनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 121/2003 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर-2003/00008
उनवान

1. श्री भगवतसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी ओडाफला मानपुर बी हाल तहसील झल्लारा जिला-सलुम्बर (राज.)।

-वादी

बनाम

1. श्री हिम्मतसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह राजपुत उम्र बालिग निवासी ओडाफला मानपुर बी हाल तहसील झल्लारा जिला-सलुम्बर (राज.)।
2. भूमिधारी तहसीलदार सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)।

-प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक:-...15/04/2026

उपस्थिति: श्री गोविन्दलाल डांगी अधिवक्ता-वादी
श्री प्रकाश कुमार चौबीसा अधिवक्ता -प्रतिवादी संख्या 1

वादी पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की और से एडवोकेट श्री गोविन्दलाल डांगी एवं प्रतिवादी की और से एडवोकेट श्री प्रकाश कुमार चौबीसा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 15/04/2026 को अदालत में समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि मौजा मानपुर बी पटवार हल्का बुडेल जामाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 68 किता 24 रकबा 4.25 हैक्टेयर के आराजियात में निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि :-

1. खातेदार का नाम - श्री हिम्मतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति रापजुत सा. ओडाफला खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा, भबराना



क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	भूमि किस्म	लगान
1	29	0.08	ह.तृतीय	0.12
2	30	0.07	ह.तृतीय	0.10
3	31	0.09	ह.तृतीय	0.13
4	87 मी.	0.205	ह.तृतीय	0.295
5	88 मी.	0.2250	रास्ता 0.01 ह.तृतीय 0.2150	0.31
6	120 मी.	0.05	ह.तृतीय	0.075
7	119 मी.	0.13	ह.तृतीय	0.19
8	118 मी.	0.085	रास्ता 0.005	0.115


सनवान-श्री भगवतसिंह बनाम श्री हिममतसिंह

9	34 मी.	0.1050	ह.तृतीय 0.08	
			रास्ता 0.005	0.1450
10	348 / 56 / 1	0.12	ह.तृतीय 0.10	
11	350 / 328 / 1	0.03	ह.तृतीय	0.1750
12	349 / 267 / 1	0.03	ह.तृतीय	0.045
13	160	0.25	ह.तृतीय	0.045
			पाली 0.01	1.67
14	161	0.07	खादी द्वि. 0.24	
15	168	0.20	खादी द्वि.	0.49
			ह.तृतीय 0.0900	0.13
16	194 मी.	0.14	ह.प्र. 0.1100	0.51
17	226 मी.	0.10	खादी द्वि.	0.84
योग	किता 17	1.98 हैक्टे.	ह.तृतीय	0.145
			-	5.53रु

2. खातेदार का नाम-श्री भगवतसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपुत सा. ओडाफला खातेदार राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टे.)	भूमि किस्म	लगान
1	3	0.03	ह.तृतीय	0.04
2	4	0.04	ह.तृतीय	0.06
3	2	0.19	ह.तृतीय	0.28
4	34 / 1	0.1050	रास्ता 0.005	0.145
			ह.तृतीय 0.10	
5	87 / 1	0.115	ह.तृतीय	0.165
6	88 / 1	0.1550	रास्ता 0.01	0.21
			ह.तृतीय 0.1450	0.21
7	89	0.07	ह.तृतीय	0.10
8	120 / 1	0.05	ह.तृतीय	0.075
9	119 / 1	0.13	ह.तृतीय	0.19
10	118 / 1	0.0850	रास्ता 0.05	0.115
			ह.तृतीय 0.08	
11	348 / 59 मी	0.12	ह.तृतीय	0.1750
12	350 / 328 मी	0.03	ह.तृतीय	0.0450
13	349 / 267 मी	0.03	ह.तृतीय	0.0450
14	170	0.54	प.द्वि. 0.04	0.02
			ह.द्वि. 0.12	0.35
			खादी द्वि. 0.38	2.64
15	194 / 1	0.19	खादी द्वि.	1.45
16	226 / 1	0.10	ह.तृतीय	0.145
योग	किता 16	1.98 हैक्टे.	-	6.25 रु

3. खातेदार का नाम- श्री भगवतसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/2 राजपुत सा. ओडाफला राहिन हिस्सा 1/2 दी बैंक ऑफ राजस्थान, हिम्मतसिंह पुत्र मदनसिंह



सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर

उत्नवान-श्री भगवतसिंह बनाम श्री हिममतसिंह

हिस्सा 1/2 राजपुत सा. ओडाफला राहिन हिस्सा 1/2 पूर्ण एस वी वी जे भाखा भबराना

क्रम संख्या	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टे.)	भूमि किस्म	लगान
1	162	0.14	पत्ती 0.02 खा. ॥ 0.12	0.83
2	165	0.15	खा. ॥	1.04
योग	किता 02	0.29 हेक्टे.	-	1.87 रु

पालना रिपोर्ट दिनांक 12-09-2024 एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा।

प्रतिवादीगण का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हिस्से की आराजीयात की भूमि में बेजामजामत व दखलन्दाजी नही करे, ना ही उक्त कृत्य अपने नौकरो अथवा परिजनो से करावे। इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1 पाबंद रहे।

यह डिक्री आज तारीख 15/04/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
 उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
 सहायक जिला न्यायाधीश सलुम्बर
 जिला सलुम्बर

वादे के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	07	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रुपये पर लीडर की फीस	00	00	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस तलवाना	01	00	6. कमिश्नर की फीस	00	00
7. आदेशिका की तामील	00	00			
8. स्टाम्प	00	00			
योग	11	00		02	00

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
 उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
 सहायक जिला न्यायाधीश सलुम्बर
 जिला सलुम्बर